न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 224/2021

उनवान

गटु गोदपुत्र डूॅगर जाति बलाई निवासी पारेड़ा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

—ः वादीगण

बनाम

1. रविन्द्र पिता कचरू जाति बलाई निवासी पोरड़ा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
2. कला पित्न नगजी जाति बलाई निवासी पोरड़ा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
3. मोहन पिता गेबा जाति बलाई निवासी पोरड़ा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
4. रमेश पिता गेबा जाति बलाई निवासी पोरड़ा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
5. गंगा पत्नि भेमा जाति बलाई निवासी पोरड़ा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
6. देवजी पिता भेमा जाति बलाई निवासी पोरड़ा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
7. प्रकाश पिता भेमा जाति बलाई निवासी पोरड़ा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
8. कुबेर पिता पूंजा जाति बलाई निवासी पोरड़ा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
9. तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

—ः प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 21 .5.2024

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के स्वामित्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 212 (नया) 97 (पुराना) के सर्वे नम्बर 375 रकबा 0. 11 हे0 भूमि वाके ग्राम वखतपुरा पटवार हल्का वखतपुरा तहसील अरथूना में स्थित है। जिस पर वादी अपने परिवार सहित चोती कर अपना एंव अपने परिवार का भरण—पोषण कर रहा है। तथा प्रतिवादीगण सभी स्व0 भुरी देवी के परिवार के हाकर कुटुम्बी है तथा वादी के मौखित दत्तक ग्रहण के साक्षी भी है। उक्त भूमि वादी की काकी श्रीमती भुरी पत्नि स्व0 डूॅगर के नाम होकर श्रीमती भुरी के लाऔलाद फौत होने से पूर्व वादी को समाज के रूबरू मौखिक रूप से पूर्व वादी को समाज के रूबरू मौखिक रूप से गोद ले लिया था तथा वादी ने मौखिक गोदपुत्र के रूप में पुत्र होने के नातें स्व0 श्रीमती भुरी एंव स्व0 डॅगर की सेवा चाकरी एंव सार—सम्माल की व मृत्यु उपरान्त समस्त सामाजिक कियाकर्म आदि वादी के द्वारा ही निष्पादित किये गये है।

वादी एंव प्रतिवादीगण की वंशावली निम्नानुसार हैः—

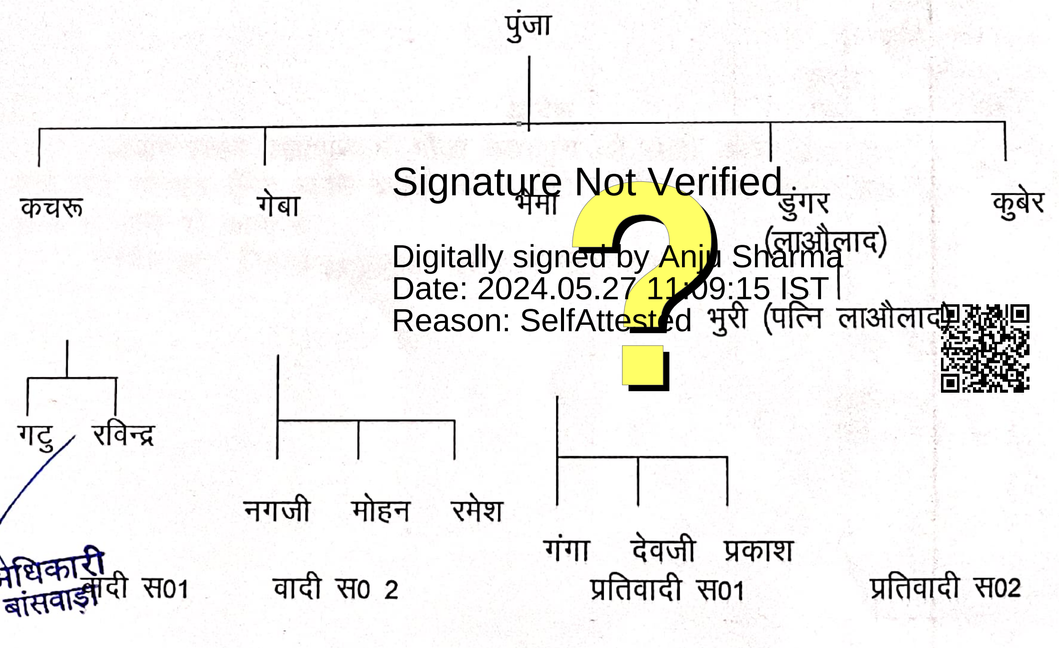

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.05.27 11:09:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

श्रीमती भुरी के स्वामित्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 212 (नया) 97 (पुराना) का सर्वे नम्बर 375 रकबा 0.11 हे0 भूमि वाके ग्राम वखतपुरा पटवार हल्का वखतपुरा तहसील अरथूना में स्थित है। जिस पर समस्त समाज के रूबरू गोदपुत्र रखे जाने के समय से वादी अपने परिवार सहित खे[illegible] कर अपना और अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहा है। वादी ने उक्त भूमि का अपने ना[illegible] [illegible]दन किया परन्तु आज तक वादी का नाम राजस्व रिकार्ड [illegible] [illegible]दारी हक प्रदान नही किये है जिस वजह से वादी समस्त सरकारी यो[illegible] लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है। स्व0 श्रीमती भूरी का अन्य कोई वारीस दायभागी [illegible] है। वादी एकमात्र वारीस है। जिस कारण उक्त भूमि गोदपुत्र वादी के नाम दर्ज रिकार्ड किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाने धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.05.27 11:09:15 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 की ओर से श्री अतिक अहमद, अभिभाषक का वकालातनाम पेश होकर जवाब हेतु समय चाहा गया। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 स्वंय द्वारा वाद के समर्थन में जवाब पेश किया गया। दौराने कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 की ओर से जवाब पेष हाकर वादी के वाद को स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 8 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 3 व 8 के उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी संख्या 3 व 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कां आदेश दिया जाकर पत्रावली वादी की साक्ष्य में नियत की जाने पर वादी गटु की साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश होने पर पत्रावली वास्ते जिरह नियत की गई जिस पर प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा वादी के गवाह से जिरह नही करना अवगत करातें हुऐ तथा वादी अभिभाषक द्वारा वादी की अन्य साक्ष्य पेश नही करना चाहतें हुऐ अपने सुक्ष्म हस्ताक्षर किये गये। प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनी गई।

बकुलाय की बहस पर सक्षिप्त मनन् एंव वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, अभिलेख का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि वादी के पिता व प्रतिवादीगण के पिता मूल पुरूष पुंजा के वारिसान होकर पुंजा के पुत्र डूँगर व डूँगर की पत्नि भुरी के लाऔलाद फोत हो जाने से डूँगर के भाई कचरू के बड़े पुत्र गटु को डूँगर का गोदपुत्र माना जाना स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः पटवार हल्का वखतपुरा के मौजा वखतपुरा की खाता संख्या 212 (नया) 97 (पुराना) का वादी गटु गोदपुत्र डूँगर जाति बलाई को खातेदार घोषित किया जाता है।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

आदेश

पटवार हल्का वखतपुरा के मौजा वखतपुरा की खाता संख्या 212 (नया) 97 (पुराना) का वादी गटु गोदपुत्र डूँगर जाति बलाई को खातेदार घोषित किया जाकर ईस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.5.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतःउपखण्ड अधिकारी, मुकाम गढ़ी व इजलास : अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 224 / 2021

उनवान

गटु गोदपुत्र डूँगर जाति बलाई निवासी पारेड़ा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

—: वादीगण

बनाम

1. रविन्द्र पिता कचरू जाति बलाई निवासी पोरड़ा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
2. कला पित्न नगजी जाति बलाई निवासी पोरड़ा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
3. मोहन पिता गेबा जाति बलाई निवासी पोरड़ा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
4. रमेश पिता गेबा जाति बलाई निवासी पोरड़ा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
5. गंगा पत्नि भेमा जाति बलाई निवासी पोरड़ा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
6. देवजी पिता भेमा जाति बलाई निवासी पोरड़ा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
7. प्रकाश पिता भेमा जाति बलाई निवासी पोरड़ा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
8. कुबेर पिता पूंजा जाति बलाई निवासी पोरड़ा तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
9. तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः21.5.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि पटवार हल्का वखतपुरा के मौजा वखतपुरा की खाता संख्या 212 (नया) 97 (पुराना) का वादी गटु गोदपुत्र डूँगर जाति बलाई को खातेदार घोषित किया जाकर ईस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक21.5.2024 को जारी की गई।

(अन्जु शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
		कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.05.27 11:09:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

9.4.24 पत्रावली पेश हुई। वादी प्रतिवादीगण उपस्थित। मीसान, P.O. साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21.5.24 को पेश हो।

21.5.24 पत्रावली पेश हुई। वादी प्रतिवादी उपस्थित। प्रकरण में बहस प्रार्थना-पत्र, [illegible] प्रतिलेख का अवलोकन किया। [illegible] प्रकरण में पूर्व से निर्णय/डिक्री पारित होकर शामिल पत्रावली किये जाकर दाखिल दफ्तर किया जाकर प्रार्थना-पत्र खारिज कर दाखिल दफ्तर की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.05.27 11:09:15 IST
Reason: SelfAttested